संख्या-47/2021/974/26-3-2021-40(विविधि)/2017

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 24 मार्च 2021

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत जनजाति विकास विभाग में मानीटरिंग सेल हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-593/ज0जा0वि0/2020-21, दिनांक-04.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्श 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत जनजाति विकास विभाग में मानीटरिंग सेल हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत जनजाति विकास विभाग में मानीटरिंग सेल के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-89/2020/1220/26-3-2020-40(विविध)/2017, दिनांक-23.06.2020 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-2,50,017/- मंे से यात्रा आदि मद में अनुमोदित धनराशि रू0-86,000/- के सापेक्ष रू0-11036/- में से तकनीकी सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर के माह दिसम्बर के भुगतान हेतु रू0-8,545/-तथा धनराशि रू0-2491/- को विविध मद में व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

पृ0संख्या-47 /2021/974 (1)/26-3-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास उ0प्र0 लखनऊ।
5-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
6-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।